भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

Title:दिशानिर्देश

Reference No.:IRDAI/HLT/REG/CIR/001/01/2020 **Date:**02/01/2020

मानक वैयक्तिक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद संबंधी दिशानिर्देश

संदर्भ:आईआरडीएआई**/**एचएलटी**/**आरईजी**/**सीआईआर**/001/01/2020 1** जनवरी **2020**

मानक वैयक्तिक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद संबंधी दिशानिर्देश

सूची

क्रम संख्या	मद	पृष्ठ सं.
1.	मानक वैयक्तिक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद संबंधी दिशानिर्देश	2-7
2.	अनुबंध-1 : मानक उत्पाद की पालिसी शर्तें	8-32
3.	अनुबंध-2 : ग्राहक सूचना पत्रक के लिए फार्मेट	33-34
4.	अनुबंध-3 : मानक वैयक्तिक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद फाइल करने के लिए फार्म	35-44

प्रति,
सभी साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता**,**

विषय:मानक वैयक्तिक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद संबंधी दिशानिर्देश

क. <u>प्रस्तावना:</u>

1. स्वास्थ्य बीमा बाजार में अनेक वैयक्तिक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद हैं। प्रत्येक उत्पाद की विलक्षण विशेषताएँ हैं तथा उपयुक्त उत्पाद का चयन करना बीमा करानेवाली जनता के लिए एक चुनौती हो सकता है। अतःनिम्नलिखित उद्देश्यों के साथ प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि मानक वैयक्तिक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद का प्रस्ताव करना सभी साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के लिए अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) किया जाए:

- बीमा पालिसी बीमा करानेवाली जनता की मूलभूत स्वास्थ्य आवश्यकताओं का ध्यान रखे
- समूचे उद्योग में मानक उत्पाद सामान्य पालिसी वाक्यरचना/शब्दावली के साथ हो
- बीमाकर्ताओं के बीच अबाध सुवाह्यता (पोर्टबिलिटी) को सुसाध्य बनाया जाए

2. इस दिशा में, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 34(1)(क) के उपबंधों के अधीन मानक वैयक्तिक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद संबंधी निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किये जाते हैं।

3. मानक उत्पाद के साथ इन दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट रूप में मूलभूत अधिदेशात्मक कवर होंगे जो समूचे बाजार में एकसमान होंगे।

4. मानक उत्पाद के साथ किसी ऐड-आन अथवा वैकल्पिक कवर प्रस्तावित करने की अनुमति नहीं होगी।

5. बीमाकर्ता आईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2016 (एचआईआर, 2016) और उनके अधीन अधिसूचित दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट मानदंडों का अनुपालन करने के अधीन, प्रदान करने के लिए प्रस्तावित कवरों को ध्यान में रखते हुए कीमत का निर्धारण कर सकता है।

6. मानक उत्पाद केवल क्षतिपूर्ति आधार पर ही प्रस्तावित किया जाएगा।

7. मानक उत्पाद की पालिसी अवधि एक वर्ष के लिए होगी।

8. मानक उत्पाद आईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2016, सभी अन्य प्रयोज्य विनियमों, स्वास्थ्य बीमा में मानकीकरण संबंधी दिशानिर्देश (संदर्भ:आईआरडीए/ एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/146/07/2016) दिनांक 29 जुलाई 2016, स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय में उत्पाद फाइलिंग संबंधी दिशानिर्देश (संदर्भ:आईआरडीए/एचएलटी/आरईजी/ सीआईआर/150/07/2016) दिनांक 29 जुलाई 2016, स्वास्थ्य बीमा संविदाओं में अपवर्जनों के मानकीकरण संबंधी दिशानिर्देश (संदर्भ:आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/ सीआईआर/177/09/2019) दिनांक 27 सितंबर 2019 एवं समय-समय पर यथासंशोधित अन्य प्रयोज्य दिशानिर्देशों के सभी उपबंधों का अनुपालन करेगा।

9. प्रत्येक साधारण और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता, जिसे साधारण और/या स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया हो अनिवार्यतः यह उत्पाद प्रस्तावित करेगा।

,

ख. मानक स्वास्थ्य उत्पाद की संरचनाः मानक स्वास्थ्य उत्पाद निम्नलिखित अधिदेशात्मक कवर प्रस्तावित करेगा।

10. अस्पताल में भर्ती के व्ययः अस्पताल में भर्ती के व्ययों में निम्नलिखित शामिल होंगेः

क) अधिकतम रु. 5000/- प्रति दिन के अधीन बीमित राशि के 2% तक अस्पताल / नर्सिंग होम द्वारा प्रदान किये गये कमरा, भोजनव्यवस्था, उपचर्या के व्यय।

ख) सर्जन, निश्चेतक, चिकित्सा व्यवसायी, परामर्शदाता, विशेषज्ञ शुल्क चाहे सीधे चिकित्सा करनेवाले डाक्टर / सर्जन को अदा किया गया हो अथवा अस्पताल को।

ग) संज्ञाहीनता, रक्त, आक्सीजन, आपरेशन थियेटर प्रभार, शल्यचिकित्सीय उपकरण, दवाएँ और औषध, नैदानिक प्रतिरूपण रीतियाँ, और इस प्रकार के अन्य व्यय।

(अस्पताल में भर्ती के संबंध में व्यय 24 घंटे की न्यूनतम अवधि के लिए स्वीकार्य हैं। तथापि, 24 घंटे की यह समय-सीमा उस स्थिति में लागू नहीं होगी जब चिकित्सा के लिए पालिसी संविदा के शर्तों में विनिर्दिष्ट रूप में अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता नहीं होगी, जहाँ चिकित्सा अस्पताल में की जाती है और बीमित व्यक्ति को उसी दिन अस्पताल से मुक्त किया जाता है।)

घ) गहन चिकित्सा केन्द्र (आईसीयू) / गहन हृदय चिकित्सा केन्द्र (आईसीसीयू) व्यय अधिकतम रु. 10,000/- प्रति दिन के अधीन बीमित राशि के 5% तक।

10क. अन्य व्यय

क) मोतियाबिंद (कैटरैक्ट) चिकित्सा के संबंध में किये गये व्यय पैरा "ग" के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में उप-सीमाओं के अधीन।

ख) बीमारी अथवा घाव के कारण अपेक्षित दंत चिकित्सा।

ग) प्लास्टिक सर्जरी जो बीमारी अथवा घाव के कारण आवश्यक हुई हो।

घ) सभी डे केयर चिकित्साएँ।

ङ) सड़क अंबुलैंस के संबंध में किये गये व्यय अधिकतम रु. 2000/- प्रति अस्पताल में भर्ती के अधीन।

-

11. आयुष चिकित्साः चिकित्सा की आयुष (आईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2016 में यथापरिभाषित) प्रणालियों के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती के संबंध में किये गये व्यय किन्हीं उप-सीमाओं के बिना कवर किये जाएँगे।

12. अस्पताल में भर्ती से पूर्व किये गये चिकित्सा संबंधी व्ययों के विषय में अस्पताल में भर्ती की तारीख से पहले 30 दिन की अवधि के लिए किये गये व्यय स्वीकार्य होंगे।

13. अस्पताल में भर्ती के बाद अस्पताल से मुक्त होने की तारीख से 60 दिन की अवधि के लिए किये गये चिकित्सा संबंधी व्यय, स्वीकार्य दावे के बाद शामिल किये जाएँगे।

14. संचयी बोनस **(**सीबी**):** प्रत्येक दावा मुक्त पालिसी वर्ष के संबंध में बीमित राशि (सीबी को छोड़कर) में बीमित राशि के अधिकतम 50% के अधीन 5% वृद्धि की जाएगी, बशर्ते कि किसी क्रमभंग के बिना पालिसी का नवीकरण किया गया हो। यदि किसी विशिष्ट वर्ष में दावा किया जाता है, तो उपचित संचयी बोनस उसी दर से घटाया जाए जिस पर वह उपचित हुआ है।

15. इस परियोजना में किसी कटौतीयोग्य राशि की अनुमति नहीं है।

ग. लागू अन्य मानदंडः

क्रम सं.	विवरण	लागू मानदंड
1.	योजना परिवर्ती	किसी योजना परिवर्ती (प्लान वेरियन्ट) की अनुमति नहीं है।
2.	वितरण माध्यम	मानक उत्पाद का वितरण सूक्ष्म बीमा एजेंटों, बिक्री केन्द्र विक्रेताओं (पीओएस) और सामान्य लोक सेवा केन्द्रों सहित सभी वितरण माध्यमों के द्वारा किया जा सकता है। मानक उत्पाद के वितरण का नियंत्रण संबंधित वितरण माध्यमों के विनियमों के द्वारा किया जाएगा।
3.	परिवार फ्लोटर	मानक उत्पाद को परिवार फ्लोटर आधार पर भी प्रस्तावित किया जा सकता है।
4.	परिवार की परिभाषा	परिवार में प्रस्तावक और नीचे उल्लेख किये गये अनुसार एक या उससे अधिक पारिवारिक सदस्य होते हैं : (i) कानूनी तौर पर विवाहित पत्नी/पति। (ii) माता-पिता और सास-ससुर। (iii) आश्रित बच्चे (अर्थात् प्राकृतिक अथवा कानूनी तौर पर गोद लिये गये) 3 माह से 25 वर्ष तक की आयु के बीच। यदि 18 वर्ष से अधिक आयु का बच्चा वित्तीय रूप से स्वतंत्र है, तो वह परवर्ती नवीकरणों में कवरेज के लिए पात्र नहीं होगा/होगी।
5.	बीमारक्षा (कवर) की श्रेणी	मानक उत्पाद का प्रस्ताव एक स्टैंडअलोन उत्पाद के रूप में क्षतिपूर्ति आधार पर किया जा सकता है। इसका संयोजन गंभीर बीमारी कवरों अथवा लाभ आधारित कवरों के साथ नहीं किया जाएगा।
6.	प्रीमियम भुगतान के लिए	मानक उत्पाद पालिसी के नवीकरण के समय एचआईआर 2016 के विनियम 2(i)(ङ) का अनुपालन करेगा। वार्षिक भुगतान की विधि के लिए, छूट अवधि के रूप में 30 दिन की नियत अवधि की

	छूट अवधि	अनुमति दी जानी चाहिए तथा भुगतान की सभी अन्य विधियों के लिए छूट अवधि के रूप में 15 दिन की नियत अवधि की अनुमति दी जाए।
7.	न्यूनतम और अधिकतम बीमित राशि	मानक उत्पाद के अंतर्गत न्यूनतम बीमित राशि रु. 1,00,000/- होगी। अधिकतम सीमा रु. 5 लाख (पचास हजार के गुणजों में) होगी।
8.	पालिसी अवधि	मानक उत्पाद का प्रस्ताव एक वर्ष की पालिसी अवधि के साथ किया जाएगा।
9.	प्रीमियम भुगतान की विधियाँ	मानक उत्पाद के लिए सभी विधियों (वार्षिक, छमाही, तिमाही, मासिक) की अनुमति दी जाएगी। उपर्युक्त विधियों के संबंध में ईसीएस (स्वतःनामे सुविधा) की भी अनुमति दी जाएगी।
10.	प्रवेश के समय आयु	प्रधान बीमित व्यक्ति के लिए प्रवेश के समय न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी तथा प्रवेश के समय अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी, जो आजीवन नवीकरणयोग्यता सहित एचआईआर 2016 के विनियम 12(i) का अनुपालन करेगी। पालिसी आजीवन नवीकरणयोग्यता के अधीन है। आश्रित बच्चा/बच्चे `परिवार' की परिभाषा के अधीन 3 माह की आयु से 25 वर्ष की आयु तक कवर किये जाएँगे।
11.	लाभ संरचना	लाभ भुगतान का प्रकटीकरण अन्य संबंधित दस्तावेज़ों के साथ आवेदन (फार्म – आईआरडीआआई-यूएनएफ-एचआईएसपी) के फार्मेट में स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए।
12.	सह-भुगतान	सभी आयु-वर्गों के लिए 5% का नियत सह-भुगतान लागू होगा तथा यह आवेदन के फार्मेट (फार्म-आईआरडीएआई-यूएनएफ-एचआईएसपी) में स्पष्ट रूप से प्रकट किया जाएगा।
13.	उप-सीमाएँ	मोतियाबिंद (केटरैक्ट) शल्यचिकित्सा संबंधी सीमाएँ : मोतियाबिंद की चिकित्सा के संबंध में किये गये व्यय प्रति आँख बीमित राशि के 25% अथवा रु. 40,000/-, जो भी कम हो, तक कवर किये जाएँगे।
14.	विशिष्ट प्रतीक्षा अवधिः	निम्नलिखित बीमारियाँ/चिकित्सा नीचे उल्लिखित प्रतीक्षा अवधि के अधीन कवर की जाती हैं : क.24महीने की प्रतीक्षा अवधिः 1. सुसाध्य ईएनटी विकार 2. टान्सिलेक्टमी 3. ऐडनाइडेक्टमी 4. मैस्टाइडेक्टमी 5. टिम्पनोप्लास्टी 6. हिसटेरिक्टोमी 7. सुसाध्य स्तन पिंडों सहित, किसी भी प्रकार के सभी आंतरिक और बाह्य सुसाध्य ट्यूमर, सिस्ट, पोलिप। 8. सुसाध्य प्रास्टेट हाइपरट्राफी 9. मोतियाबिंद (केटरेक्ट) और आयु संबंधी नेत्र-रोग 10. आमाशय (गेस्ट्रिक) / ग्रहणी (ड्युओडेनल) व्रण (अल्सर) 11. गठिया और संधिवात 12. सभी प्रकार की अंत्रवृद्धि (हर्निया) 13. अंडवृद्धि (हाइड्रोसील) 14. असंक्रामक संधिशोथ (आर्थ्राइटिस) 15. मलद्वार में बवासीर (पाइल्स), दरार (फिशर), नासूर (फिस्ट्युला) 16.पाइलोनिडल साइनस, साइन-साइटिस और संबंधित विकार 17. प्रोलेप्स इंटर वर्टिब्रल डिस्क और मेरुदंडीय (स्पाइनल) रोग जब तक दुर्घटना के कारण उत्पन्न नहीं हुए हों। 18. मूत्रीय व्यवस्था में पथरी (कैलक्युली), पित्ताशय और पित्त वाहिनी (बाइल डक्ट), कैंसर (मेलिग्नेंसी) को छोड़कर। 19. स्फीत शिराएँ (वेरिकोस वेन्स) और स्फीत व्रण (वेरिकोस अल्सर) 20. आंतरिक जन्मजात असामान्यताएँ ख.48 माह की प्रतीक्षा अवधि 21. जोड़ों के प्रतिस्थापन के लिए चिकित्सा जब तक दुर्घटना के कारण उत्पन्न नहीं हुई हो 22. आयु-संबंधी अस्थि-शोथ (आस्टियोआर्थ्रिटिस) और अस्थि-क्षरण (आस्टियोपोरोसिस)
15.	जोखिम-अंकन	बीमाकर्ता डाक्टरी जाँच रहित (नान-मेडिकल) सीमा और संबंधित विवरण विनिर्दिष्ट

		फार्मेट में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करेगा।
16.	नवीकरण	मानक उत्पाद एचआईआर, 2016 के विनियम 13 का विधिवत् अनुपालन करनेवाले नवीकरण के अधीन होगा।
17.	निःशुल्कअवलोकन अवधि	मानक उत्पाद के लिए एचआईआर 2016 के विनियम 14 का अनुपालन करनेवाली निःशुल्कअवलोकन अवधि (फ्री लुक पीरियड) होगी।
18.	प्रीमियम लोडिंग और छूटें	लोडिंगों और नवीकरणों के संबंध में मानक उत्पाद एचआईआर 2016 के विनियम 25 का अनुपालन करेगा।
19.	सुवाह्यता (पोर्टबिलिटी)	मानक उत्पाद एचआईआर 2016 की अनुसूची I तथा समय-समय पर उसके अधीन जारी किये गये लागू दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट रूप में सुवाह्यता संबंधी उपबंधों का अनुपालन करेगा।
20.	कीमत-निर्धारण (प्राइसिंग)	इस उत्पाद के अंतर्गत प्रीमियम अखिल भारतीय आधार पर होगा तथा किसी भौगोलिक स्थान / क्षेत्र आधारित कीमत-निर्धारण की अनुमति नहीं है।

घःमानक उत्पाद के लिए शर्तों की प्रस्तावित संरचनाः

16. मानक उत्पाद की पालिसी शर्तें अनुबंध-1 में विनिर्दिष्ट फार्मेट में होंगी। बीमाकर्ता समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी किये जानेवाले विनियमों अथवा दिशानिर्देशों के आधार पर अग्रदर्शी रूप में पालिसी संविदा की परिभाषाओं और अन्य खंडों का उपयुक्त रूप में आशोधन कर सकता है।

ङ**.:** अन्य मानदंडः

17. उत्पाद का नाम आरोग्य संजीवनी पालिसी होगा, जिसके बाद बीमा कंपनी का नाम होगा, (आरोग्य संजीवनी पालिसी, <बीमाकर्ता का नाम>)। किसी भी दस्तावेज में किसी अन्य नाम की अनुमति नहीं है।

18.उत्पाद के लिए प्रयुक्त प्रस्ताव फार्म स्वास्थ्य बीमा में उत्पाद फाइलिंग संबंधी दिशानिर्देशों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मानदंडों के अधीन होगा।

19. बीमाकर्ता अनिवार्यतःअनुबंध-2 में विनिर्दिष्ट फार्मेट के अनुसार ग्राहक सूचना पत्रक जारी करेंगे।

20. मानक उत्पाद आईआरडीएआई (सूक्ष्म बीमा) विनियम, 2015 एवं समय-समय पर प्राधिक #2352;ण द्वारा इस संबंध में जारी किये गये अन्य परिपत्रों / दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट बीमित राशि की सीमाओं के अधीन सूक्ष्म बीमा उत्पाद के रूप में प्रस्तावित किया जा सकता है।

21. मानक उत्पाद निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करने के अधीन प्राधिकरण के पूर्व-अनुमोदन के बिना प्रारंभ किया जा सकता है।

क. उत्पाद का अनुमोदन उत्पाद प्रबंध समिति के द्वारा किया जाएगा।

ख. बीमाकर्ता मुख्य अनुपालन अधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र के साथ कि फाइल किया गया उत्पाद इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मानदंडों का अनुपालन करता है, फार्म – आईआरडीएआई-यूएनएफ-एचआइएसपी (इन दिशानिर्देशों के अनुबंध-3 में यथाविनिर्दिष्ट) में संबंधित विवरण फाइल करते हुए मानक उत्पाद के लिए विलक्षण पहचान संख्या (यूआईएन) प्राप्त करेंगे।

ग. आवेदन की समीक्षा करने के बाद, प्राधिकरण ऐसी अतिरिक्त सूचना की माँग कर सकता है जिसकी आवश्यकता हो सकती है तथा उपयुक्त निदेश जारी कर सकता है जो इस उत्पाद के अंतर्गत जारी की गई सभी संविदाओं के संबंध में पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रभावी होंगे।

22. साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता यह उत्पाद 01 अप्रैल 2020 से लेकर आगे प्रस्तावित करेंगे।

23. इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

कार्यकारी निदेशक **(**स्वास्थ्य**)**